

अनुलग्नक "ख"

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022
(प्रथम संशोधन)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

विषय सूची

1	प्रस्तावना	
2	नीतिगत संरचना	
	2.1 परिकल्पना	
	2.2 सामरिक उद्देश्य	
3	अवसंरचना संवर्द्धन	
	3.1 आईटी पार्क	
	3.2 आईटी सिटी	
	3.3 को-वर्किंग स्पेस डेवलपर्स	
4	इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा	
	4.1 उत्कृष्टता केन्द्र	
	4.2 अनुसंधान एवं विकास समर्थन	
5	कौशल विकास	
6	सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन	
	6.1 नई इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	
	6.1.1 पूंजी उपादान	
	6.1.2 परिचालन व्यय उपादान	
	6.1.3 भूमि पर छूट	
	6.1.4 ब्याज उपादान	
	6.1.5 स्टैम्प ड्यूटी	
	6.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान	
	6.1.7 रिक्रूटमेंट सहायता	
	6.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन	
	6.1.9 पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत	
	6.1.10 घर से काम	
	6.1.11 पे-रोल उपादान	
	6.1.12 निर्यात से सम्बद्ध प्रोत्साहन	
	6.1.13 कौशल विकास प्रोत्साहन	
	6.1.14 रि-लोकेशन उपादान	

	6.1.15	इंटर्नशिप सहायता	
	6.2	विस्तारित इकाईयों हेतु लाभ	
	6-3	500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाईयों के लिए लाभ	
	6-4	गैर-वित्तीय प्रोत्साहन	
7		क्रियान्वयन ढाँचा	
8		नीति अवधि तथा प्रयोज्यता	
परिभाषाएँ			
अनुलग्नक 1: जिलों का वर्गीकरण			
अनुलग्नक 2: संशक्त समिति का गठन			
अनुलग्नक 3: नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन			

1. प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर, आईटी और आईटीईएस बाजार के 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से (सीएजीआर) से बढ़ने और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.86 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की आशा है। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। भारत में, यह क्षेत्र 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत योगदान करने सहित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक बन गया है और कुल निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के आईटी उद्योग का राजस्व बढ़कर 227 अरब डॉलर हो गया जो वार्षिक आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मौजूदा रुझानों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रारम्भ के आधार पर उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 350 बिलियन डॉलर राजस्व का स्तर प्राप्त कर लेने का अनुमान है। डिजिटल प्रतिभा के वैश्विक केन्द्र के रूप में, भारत का आईटी क्षेत्र अनुमानतः 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है और यह महिलाओं का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। उत्तर प्रदेश (यूपी), सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता है, जो देश में सॉफ्टवेयर निर्यात में छठवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। 30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017-22 के तहत, राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

पिछले कई वर्षों में, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और अब गतिशील व्यावसायिक परिवेश में बचे रहने के लिए एक आवश्यकता बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के इस प्रभुत्व को पहचानती है तथा आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी ढाँचे और मानव पूंजी विकास को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस सन्दर्भ में, राज्य में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहाँ से उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति उपलब्ध होती है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, वाराणसी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान प्रयागराज, आईआईआईटी प्रयागराज सहित देश के कई शीर्ष संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जो सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे और शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं।

इस नीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ व्यावसायिक माहौल को सक्षम करके आईटी सिटी, आईटी पार्क्स तथा आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इन्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से राज्य में एक तकनीकी बदलाव की दिशा में सहयोग और समेकन को प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसके अन्तर्गत नवचार में तीव्रता लाने तथा नवाचार विशिष्ट

(इन्नोवेशन स्पेसिफिक) वित्तपोषण के परिचालन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे सहित डेडीकेटेड इन्नोवेशन हब द्वारा एक अनुकूल नियामक परिदृश्य के सक्षम किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'डिजिटल इण्डिया' तथा 'रिफॉर्म, परफॉर्म एण्ड ट्रॉसफॉर्म' मन्त्र के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है जिससे 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप निवेश हेतु सपनों की मँजिल बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश, जिसे हाल ही में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में एक एचीवर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने श्रम विनियमन, भूमि प्रशासन, सूचना तक पहुँच और पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विन्डो और निर्माण अनुमतियों आदि से सम्बन्धित कई व्यापक सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से वृहद प्रगति की है। उद्योग बन्धु एक समर्पित राजकीय निकाय है जो राज्य में अपना व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 29 विभागों से 353 सेवाएँ प्रदान करने वाला एक समर्पित सिंगल विन्डो क्लीयरेंस पोर्टल - निवेश मित्र, विभिन्न अनुमोदनों को तीव्रता और समयबद्ध रूप से जारी करने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है।

2. नीतिगत संरचना

2.1 परिकल्पना

उत्तर प्रदेश के आईटी परिदृश्य को उच्च क्षमता युक्त प्रतिभा तथा विश्वस्तरीय आईटी अवसंरचना सहित, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए बदलना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण प्रदेश को एक सतत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना।

सभी आकार के उद्यमों को शामिल करते हुए आईटी इकोसिस्टम के समान और व्यापक विकास को सुनिश्चित करना। इस नीति का उद्देश्य छोटे, मध्यम और वृहद् आईटी/आईटीईएस कंपनियों को समान रूप से सक्रिय रूप से समर्थन और प्रोत्साहन देना है, जिसमें छोटे और उभरते हुए उद्यमों के विकास और भागीदारी को सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। अनुकूल और सहायक नीतिगत वातावरण बनाकर, सरकार का संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और मूल्य श्रृंखला में उद्यमों के विस्तार को सुगम बनाने का प्रयास है।

2.2 सामरिक उद्देश्य

इस सूचना प्रौद्योगिकी और सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:-

- 2.2.1 अवसंरचना : राज्य में आईटी पार्क्स, आईटी सिटी विकसित करके नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे के विकास की सुविधा।
- 2.2.2 नवाचार: मेन्टर्स तक पहुँच के रूप में एक सक्षम तंत्र प्रदान करके इनोवेशन ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ अनुसन्धान और विकास को बढ़ावा।
- 2.2.3 क्षमता निर्माण : अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी (यथा डाटा एनालिटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, मशीन लर्निंग आदि) पर मौजूदा और युवा कार्यबल के कौशल स्तर को बढ़ाना तथा उद्योग के लिए तैयार एक प्रतिभा पूल का विकास।
- 2.2.4 निवेश : निवेशक सुविधा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश को एक पसन्दीदा निवेश गन्तव्य बनाना तथा नीति अवधि के दौरान घरेलू और साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- 2.2.5 निर्यात : उत्तर प्रदेश के अन्दर एसटीपीआई में स्थापित इकाइयों के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रदान करने सहित इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में काफी अधिक योगदान करने के लिए राज्य के आईटी/ आईटीईएस क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना।
- 2.2.6 रोजगार : स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के राज्यव्यापी अवसर प्रदान करना।
- 2.2.7 क्षेत्रीय विकास : सम्पूर्ण प्रदेश में आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के माध्यम से आईटी पैठ तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।

3. अवसंरचना संवर्द्धन

उत्तर प्रदेश में पहले से ही बड़ी संख्या में आईटी/आईटीईएस कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं। एचसीएल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से परिचालन और कौशल विकास गतिविधियों के लिए 100 एकड़ में एक समर्पित आईटी सिटी स्थापित किया है। राज्य में वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित एसटीपीआई पार्क्स संचालित हैं। आगरा में एक और आईटी पार्क शीघ्र ही चालू हो जायेगा। अन्य एसटीपीआई पार्क वाराणसी तथा बरेली नगरों में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सुगम आवागमन वाले स्थान पर रेडी-टू-आक्यूपाई कार्यस्थानों के विकास को सहयोग प्रदान कर आईटी ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे आईटी/आईटीईएस इकाइयों को राज्य के अन्दर अपना परिचालन तत्काल आरम्भ करने में सुविधा होगी। आईटी क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पहल किए जाने का प्रस्ताव है:-

3.1 आईटी पार्क

- 3.1.1 गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रीनफील्ड आईटी पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- 3.1.2 आईटी पार्क के विकास हेतु किए गए पात्र पूंजीगत व्यय की 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा रु 20 करोड़ होगी।
- 3.1.3 पूंजीगत व्यय में, भूमि की लागत को छोड़कर, भवन निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा।
- 3.1.4 पूंजीगत प्रोत्साहनों का 80 प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किशतों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20 प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50 प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।
- 3.1.5 विकासकर्ता द्वारा भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
- 3.1.6 सरकार द्वारा वाह्य अवसंरचना सुविधाओं अर्थात् सड़कों (लोक निर्माण विभाग द्वारा), विद्युत अवसंरचना (ऊर्जा विभाग) के विकास के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। भवन अनापत्ति प्राप्त करने में भी सहयोग दिया जायेगा।
- 3.1.7 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी पार्क्स पर लागू।
- 3.1.8 विकासकर्ताओं के संघ (कन्सोर्टियम) की भी अनुमति होगी।
- 3.1.9 30प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नीतिगत प्राविधानों, नियम एवं शर्तों के अनुसार त्वरित आधार पर तरजीही भूमि आवंटन किया जायेगा।
- 3.1.10 सह-कार्यस्थलों (को-वर्किंग स्पेसेज) की मेजबानी करने वाले आईटी पार्क भी उपरोक्त प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।
- 3.1.11 सशक्त समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन, 500 करोड़ रुपये से अधिक (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) का निवेश करने वाली आईटी पार्क को भूमि पर 75% छूट (Land Rebate) तथा 40% पूंजीगत उपादान (पूंजीगत उपादान अधिकतम रु 400 करोड़ तक) (Capital Subsidy) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3.2 आईटी सिटी

- 3.2.1 आईटी सिटी एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां आईटी/ आईटीईएस गतिविधियों और 'पदयात्रा द्वारा कार्य संस्कृति' को बढ़ावा देने के लिए

अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा मौजूद है। इसमें आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों के साथ आईटी/आईटीईएस कार्यालय स्थल/ आईटी पार्क, सह-कार्यस्थल शामिल हैं और सभागार, फूड कोर्ट, व्यायामशाला, सम्मेलन कक्ष आदि शामिल हो सकते हैं।

3.2.2 राज्य सरकार द्वारा पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर), मध्यांचल, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड - प्रत्येक क्षेत्र में एक आईटी सिटी विकसित करने और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में आईटी इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है।

3.2.3 सरकार वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं सहित, समर्पित अत्याधुनिक आईटी सिटी के विकास के लिए विकासकर्ताओं/ विकासकर्ताओं के संघ को प्रोत्साहित करेगी। सहायता निम्नलिखित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रदान की जायेगी:-

- जोनिंग/भूमि उपयोग कानूनों में शिथिलता
- लचीले फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई) मानदण्ड लागू करना
- यूटिलिटीज डोरस्टेप सहायता का विस्तार
- आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति में सहायता
- विकासकर्ता द्वारा भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- पूंजीगत व्यय सहायता - आईटी सिटी के विकास के लिए किये गये पात्र पूंजीगत व्यय के 25 प्रतिशत का एकमुश्त सहयोग रु 100 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, प्रदान किया जायेगा। पात्र पूंजीगत व्यय में भूमि की लागत को छोड़कर भवन निर्माण तथा अवसंरचना सुविधायें सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त, केवल प्रसंस्करण क्षेत्र (प्रोसेसिंग एरिया) में किये गये पूंजीगत व्यय को पात्र माना जायेगा। विकासकर्ता को पात्र पूंजीगत व्यय का 80 प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किशतों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20 प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50 प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।
- सशक्त समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन, 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली आईटी सिटी (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) को भूमि पर 75% छूट (Land Rebate) तथा 40% पूंजीगत उपादान (पूंजीगत उपादान

अधिकतम रु 400 करोड़ तक) (Capital Subsidy) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा

3.3 को-वर्किंग स्पेस डेवलपर्स

3.3.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में को-वर्किंग स्पेस के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3.3.2 को-वर्किंग स्पेस के निर्माण के लिए पात्र पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 20 करोड़ होगी।

3.3.3 उपादान का संवितरण तीन वर्षों में समान वार्षिक किशतों में केवल उस स्थिति में किया जाएगा जब 50 प्रतिशत सीटें आईटी/आईटीईएस इकाइयों को आवंटित/पट्टे पर दे दी जाएंगी।

3.3.4 पूंजीगत व्यय में भवन निर्माण/सुधार/नवीनीकरण और अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा, जिसमें भूमि की लागत सम्मिलित नहीं होगी।

3.3.5 किराए अथवा लीज पर प्राप्त परिसर में स्थापित किए जाने वाले को-वर्किंग स्पेस के लिए न्यूनतम 5 वर्षों का पंजीकृत पट्टा विलेख होना अनिवार्य होगी

4 इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा

इस नीति में निम्नलिखित पहल के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक ईकोसिस्टम बनाया जाना प्रस्तावित है:

4.1 उत्कृष्टता के केन्द्र

4.1.1 नीति में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाने की परिकल्पना की गई है।

4.1.2 नीति का लक्ष्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों तथा/अथवा उद्योग संघों/ उद्योग अथवा किसी अन्य सरकारी/निजी संस्था के सहयोग से 3 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना किया जाना है, उत्कृष्टता केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़ के अधीन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4.1.3 सशक्त समिति उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होगी।

4.2 अनुसंधान एवं विकास सहायता

सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति

द्वारा अनुमोदित स्टैण्डएलोन/इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों तथा डिजाइन सेन्टर्स को समर्थन प्रदान किया जायेगा।

4.2.1 वित्तीय सहायता 5 वर्षों की अवधि में एक इकाई के लिए अधिकतम रु 5 करोड़ की सीमा तक, पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (पूँजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) के रूप में प्रदान की जायेगी।

4.2.2 पात्र प्रतिपूर्ति राशि की 50 प्रतिशत धनराशि अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।

4.2.3 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ जिन्हें इस प्राविधान के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सम्मिलित होना अपेक्षित है। इस प्रकार की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को इकाई के व्यवसाय की प्रकृति यथा नई प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन और इन्जीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण और परीक्षण की नई विधियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता वृद्धि के लिए अनुसंधान इत्यादि से सम्बन्धित होना चाहिए। आवेदन के समय अनुसंधान एवं विकास इकाई(यों) के पास भली प्रकार से पारिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए जो नवीन उत्पादों और/ अथवा प्रौद्योगिकी(यों) के विकास के लिए हों। पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, कार्य और विधियों के अध्ययन, संचालन और प्रबन्धन अनुसंधान, संचालन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन-प्रतिदिन के उत्पादन के रख-रखाव और संयंत्र के रख-रखाव के लिए नियमित प्रकृति के परीक्षण और विश्लेषण में लगी इकाइयों को शोधन एवं विकास केन्द्र नहीं माना जायेगा।

4.2.4 एक नये अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय करने वाली उत्तर प्रदेश में स्थापित विद्यमान इकाइयों इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

4.2.5 इस प्राविधान के तहत प्रस्ताव में शोध एवं विकास उपकरण से सम्बन्धित किसी भी पूँजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिस पर पहले ही धारा 6 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुका हो।

5 कौशल विकास

कुशल सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए, एक ऐसी पहल आरम्भ करने की अनिवार्य आवश्यकता है जो वृद्धिमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की चुनौती का समाधान

कर सकेगी। सरकार इस नीति के माध्यम से मौजूदा और नये कार्यबल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल करेगी:-

- 5.1 उदीयमान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रमाणन पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स/ कार्मिकों और छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम शुल्क के 50 प्रतिशत, ₹ 50,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आईटी/आईटीईएस कम्पनियों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक स्थायी समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची पर, उनके पैनल सहित परामर्श प्रदान किया जायेगा एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जायेगा, जिन्हें उद्योग के रुझान तथा जरूरतों के अनुसार आवधिक आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
- 5.2 यूपी कौशल विकास मिशन (एसडीएम) आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख उद्योग संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश में अपनी परिचालन इकाइयाँ स्थापित करने वाली आईटी/आईटीईएस कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली नई और विस्तारित दोनों इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होंगी।

6.1 नई इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली नई इकाइयाँ प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगी:

क्षेत्र	पात्रता मानदण्ड
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश का शेष क्षेत्र	आईटी और आईटीईएस गतिविधियों के लिए कंपनी की वेतन नामावली पर कम से कम 15 आईटी कर्मचारी होने चाहिए। सभी आईटी कर्मचारियों को वर्कस्टेशन, लैपटॉप या आईटी उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये आईटी उपकरण नए निवेश के अंतर्गत होने चाहिए। अथवा आईटी और आईटीईएस परिचालन/सेवाओं से न्यूनतम वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।
अभ्युक्ति: प्रोत्साहन हेतु पात्रता नए कार्मिकों की 1 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रिक्रूटमेंट पर निर्भर है।	

6.1.1 पूंजी उपादान

निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करने वाली पात्र आईटी/आईटीईएस इकाइयों को स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) पर 25 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 50 करोड़ हो

क्षेत्र	पात्रता मानदण्ड
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का स्थिर पूंजी निवेश आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश का शेष क्षेत्र	न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का स्थिर पूंजी निवेश आवश्यक है।

उपादान का संवितरण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के पश्चात पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, और प्रत्येक वार्षिक किश्त की राशि रुपये 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

6.1.2 परिचालन व्यय उपादान

इस नीति के माध्यम से सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों द्वारा किये गये परिचालन व्यय के लिए उपादान प्रदान किया जायेगा। सभी पात्र इकाइयां पात्र परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं:-

क. स्वामित्व वाली/किराए पर ली गई/प्लग एंड प्ले सुविधा से संचालित होने वाली इकाइयाँ, इकाई में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित दरों पर प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं, यद्यपि पात्र परिचालन व्यय पर दावा किया जा सकने वाला कुल प्रोत्साहन अधिकतम रु 25/- प्रति वर्गफुट प्रति माह होगा:

क्षेत्र	आईटी कर्मचारी की संख्या	पात्र परिचालन व्यय पर सब्सिडी दर
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	>50	20%
उत्तर प्रदेश का शेष क्षेत्र	15-50	40%
	51-100	30%
	>100	25%
अभ्युक्ति:		

1 प्रोत्साहन हेतु पात्रता नए कार्मिकों की 1 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रिक्रूटमेंट पर निर्भर है।

को-वर्किंग स्पेस से संचालित होने वाली इकाइयाँ उपरोक्त लागू दरों (क्षेत्रीय रोजगार सृजन के आधार पर) पर प्रति सीट, प्रति माह किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति या 3,000 रुपये प्रति सीट, प्रति माह जो भी कम होए का लाभ उठा सकती हैं। ये इकाइयाँ "पात्र परिचालन व्यय" के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य मद के लिए पात्र नहीं होंगी और सब्सिडी की प्रतिपूर्ति केवल प्रति सीट लागत के आधार पर ही की जाएगी। यह उन इकाइयों के लिए पात्र होगा जिनके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख है।

ख. उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन: डीपीआईआईटी (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे स्टार्टअप्स, जिन्होंने सेबी (SEBI) में पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड (VCFs), वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs), राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय मिशन अथवा सरकार समर्थित फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds - FoFs) से इक्विटी निवेश प्राप्त किया है, वे नीति के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सब्सिडी सीमा तथा अन्य शर्तों के अधीन, लागू परिचालन व्यय (OPEX) सब्सिडी दर पर अतिरिक्त 50% वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वर्धित सब्सिडी लागू सब्सिडी दर पर प्रतिशत वृद्धि के रूप में गणना की जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि लागू OPEX सब्सिडी दर 20% है, तो पात्र स्टार्टअप को 30% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

क्षेत्र	आईटी कर्मियों की संख्या	पात्र परिचालन व्यय (OPEX) पर सब्सिडी दर	उच्च क्षमता स्टार्टअप OPEX सब्सिडी
गौतमबुद्ध नगर एवं गाज़ियाबाद	50 से अधिक	20%	30%
उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद	15-50	40%	60%
	51-100	30%	45%
	100 से अधिक	25%	37.5%

परिचालन व्यय उपादान वाणिज्यिक परिचालन होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा और कुल राशि प्रति वर्ष रु 40 करोड़ तक सीमित रहेगी।

आवेदन के समय 15 से 100 कार्मिकों वाली इकाइयाँ (उत्तर प्रदेश के शेष भाग के लिए) वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से प्रारंभिक दो वर्षों के लिए प्रभावी दर पर परिचालन व्यय उपादान प्राप्त करने के पात्र होंगी। प्रारंभिक अवधि के पश्चात, अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी दर पर परिचालन व्यय उपादान जारी रखना इस शर्त पर निर्भर करेगा कि इकाई वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि से प्रथम दो वर्षों के भीतर कर्मचारियों की संख्या या कारोबार में न्यूनतम दो गुना वृद्धि अर्जित करे।

यदि इकाई निर्धारित समय सीमा के भीतर उपरोक्त वृद्धि मानदंडों की पूर्ति करने में विफल रहती है, तो शेष पात्र अवधि के लिए पात्र परिचालन व्यय (ओपीईएक्स) के 25 प्रतिशत की कम दर पर परिचालन व्यय उपादान जारी रहेगा।

6.1.3 भूमि पर छूट

- i इस नीति में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने पर, उत्तर प्रदेश में क्रय की गई भूमि पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की जायेगी।
- ii भूमि की लागत पर प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 50 करोड़ की सीमा तक तथा क्षेत्रवार न्यूनतम रोजगार मानदंडों की पूर्ति करने पर ही प्रदान की जाएगी।

क्षेत्र	न्यूनतम आईटी रोजगार	भूमि लागत की प्रतिपूर्ति
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	प्रति एकड़ भूमि 200 आईटी कार्मिक	30%
पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर) और मध्यांचल	प्रति एकड़ भूमि 150 आईटी कार्मिक	40%
बुंदेलखंड / पूर्वांचल	प्रति एकड़ भूमि 100 आईटी कार्मिक	50%
अभ्युक्ति: 1 बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, और मध्यांचल में आने वाले जिलों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है। 2 प्रोत्साहन हेतु पात्रता नए कार्मिकों की 1 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रिक्रूटमेन्ट पर निर्भर है।		

- iii प्रदत्त रोजगार निरन्तर एक वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

- iv भूमि लागत की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के बाद प्रदान की जाएगी।
- v भूमि के पंजीकृत दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक खरीद मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) माना जाएगा। यदि भूमि राज्य अभिकरण द्वारा आवंटित है तो भुगतान किये गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टांप शुल्क तथा निबन्धन शुल्क को छोड़कर) के रूप में माना जायेगा। निजी भूमि के क्रय पर भूमि का मूल्य प्रचलित सर्किल दरों अथवा वास्तविक क्रय मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार मानी जायेगी।

6.1.4 ब्याज उपादान

अधिसूचित बैंकों/वितीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक भुगतान किया गया ब्याज, जो भी कम हो, वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु 1.00 करोड़ होगी।

6.1.5 स्टाम्प शुल्क

आईटी/आईटीईएस उपयोग के लिए भूमि/कार्यालय स्थान/भवन की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत छूट/प्रतिपूर्ति।

प्राप्त की गई छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो इस नीति की धारा 8.3 में निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू होने पर इकाई को वापस कर दी जाएगी।

प्रतिपूर्ति उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जिनके पास न्यूनतम 5 वर्ष का पंजीकृत किरायानामा हो। प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 की अधिसूचना के उपरांत क्रय की गई भूमि के संबंध में भूमि लागत की प्रतिपूर्ति, लेटर ऑफ कम्फर्ट (Letter of Comfort) निर्गत होने तथा इकाई द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किए जाने के पश्चात प्रदान की जाएगी।

यदि भूमि का क्रय उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा (आईटी एवं आईटीईएस) नीति, 2022 (प्रथम संशोधन) की अधिसूचना के उपरांत किया गया है, तो ऐसी पात्र इकाई नीति के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

6.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के बाद निरन्तर 1 वर्ष तक कार्यरत रहने पर, भुगतान की गई कुल भविष्य निधि राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो प्रति कार्मिक प्रति माह 2000 रुपये तक होगी और एक इकाई के लिए 5 वर्षों तक प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

6.1.7 रिक्रूटमेंट सहायता

- i उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) में प्रति कर्मचारी 20,000 रुपये की रिक्रूटमेंट सहायता, न्यूनतम 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार और विद्यमान कर्मचारियों की संख्या के न्यूनतम 10 प्रतिशत की वार्षिक भर्ती के अधीन।
- ii यह सहायता केवल उनकी प्रथम नौकरी के लिए भरती किये गये कार्मिकों के लिए अनुमन्य है, जो न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश स्थित इकाइयों में तैनात हों। कर्मचारी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी तथा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालय से हो।
- iii इस सहायता का लाभ परिचालन प्रारम्भ होने की 5 वर्ष, प्रति वर्ष अधिकतम INR 1 करोड़, तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है।
- iv उत्तर प्रदेश स्थित कॉलेजों के अभ्यर्थियों की भर्ती में सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0जनित सेवा कम्पनियों की सहायता तथा इस प्राविधान के अनुसार लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग के परामर्श से एक तन्त्र विकसित किया जायेगा।

6.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001, सेवा प्रबन्धन शब्दावली के लिए आईएसओ 20000, सीओपीसी, ईएससीएम जैसे गुणवत्ता और आईटी से सम्बन्धित क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमए) स्तर एवं उच्चतर प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर राज्य में परिचालनरत आईटी/आईटीएस कम्पनी द्वारा अधिकतम 3 प्रमाण-पत्रों हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कुल रु 25 लाख प्रति इकाई की सीमा सहित। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इस प्रकार के प्रमाणन समय-समय पर सशक्त समिति के अनुमोदन से सम्मिलित किये जायेंगे।

6.1.9 पेटेंट फाइलिंग लागत

अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य के अन्दर स्थित इकाइयों द्वारा पेटेंट फाइलिंग की लागत को आच्छादित करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। स्वीकृत पेटेंट पर वास्तविक फाइलिंग लागत के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो घरेलू पेटेंट्स हेतु अधिकतम रु 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट्स हेतु रु 10,00,000 होगी।

प्रतिपूर्ति योग्य "फाइलिंग लागत" के अन्तर्गत पेटेंट कार्यालय को भुगतान की गई फाइलिंग फीस, वकील की फीस, सर्च फीस, रखरखाव फीस और संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार

(आईपीआर) कंपनियों को भुगतान की गई फीस और मसौदा तैयार करने/परामर्श के लिए कोई कानूनी शुल्क (यदि कोई हो) सम्मिलित होंगे। केवल सफलतापूर्वक स्वीकृत/पुरस्कृत पेटेंट ही प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

6.1.10 घर से काम

इकाइयों इस नीति के तहत भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति तथा रोजगार से जुड़े अन्य हितलाभ के लिए पात्र होंगी, जोकि उत्तर प्रदेश में घर से काम करने वाले/ऐसे अन्य परिसरों से काम करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं।

6.1.11 पे-रोल उपादान

पात्र इकाइयों को न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सेवा अवधि वाले पंजीकृत (यूपी डोमिसाइल) कर्मचारियों (अनुसंधान एवं विकास में लगे कर्मचारियों सहित) को भुगतान किए गए वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

क. गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (यूपी डोमिसाइल) कर्मचारियों के लिए, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के तीन वर्ष तक इकाई को निम्नानुसार उपादान राशि प्राप्त होगी:

परिचालन का वर्ष	अनुमन्य पे-रोल उपादान प्रतिशत	अधिकतम सीमा
प्रथम	35%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 35% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 5 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
द्वितीय	30%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 4 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
तृतीय	25%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 25% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 3 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।

अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी और इसकी अवधि 3 वर्ष होगी।

इस सब्सिडी के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा कर्मचारियों के लिए बनाए गए निरंतर रोजगार को आधार माना जाएगा। 12 महीने से कम समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को इस मद के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

ख. उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्र के जिलों में

उत्तर प्रदेश मूल निवासी (यूपी डोमिसाइल) कर्मचारियों के लिए, व्यावसायिक परिचालन शुरू होने के चार साल तक इकाई को उपादान राशि निम्नानुसार देय होगी:

परिचालन का वर्ष	अनुमन्य पे-रोल उपादान प्रतिशत	अधिकतम सीमा
प्रथम	50%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 50% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 7 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
द्वितीय	40%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 40% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 6 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
तृतीय	30%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 5 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
चतुर्थ	25%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 25% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 4 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के अलावा अन्य जिलों में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए पे-रोल उपादान प्रति वर्ष अधिकतम 12 करोड़ रुपये तक, चार वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

इस सब्सिडी के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा कर्मचारियों के लिए बनाए गए निरंतर रोजगार को आधार माना जाएगा। 12 महीने से कम समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को इस मद के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

अभ्युक्ति: पे-रोल उपादान के लिए, केवल वे कर्मचारी पात्र होंगे जिनका वार्षिक सकल वेतन (Gross Salary) 1 लाख रुपये से अधिक है। (कम्पनी द्वारा कर्मचारी के खाते में उद्योग के सर्वोत्तम प्रचलित फार्मूले के अनुसार हस्तांतरित सकल वेतन (Gross Salary) ही सम्मिलित होगा। इसमें मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे अन्य मामूली लाभ शामिल हैं।)

6.1.12 निर्यात से सम्बद्ध प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश से अर्जित वार्षिक निर्यात कारोबार के 25 प्रतिशत अथवा प्रति वर्ष, रुपये 20 लाख की अधिकतम सीमा तक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के लिए इकाइयाँ पात्र होंगी।

यह प्रोत्साहन केवल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित और कार्यरत नई इकाइयों पर लागू होगा।

प्रतिपूर्ति पात्र इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

6.1.13 कौशल विकास प्रोत्साहन

पात्र इकाई द्वारा परिचालन आरम्भ होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 500 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन की लागत के 50 प्रतिशत की दर से अथवा प्रति कर्मचारी 50,000 रुपये तक, जो भी कम हो, प्रति वर्ष रुपये 50 लाख की अधिकतम सीमा सहित पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में कौशल विकास उपादान प्राप्त किया जा सकता है।

6.1.14 रि-लोकेशन उपादान

पात्र इकाइयाँ राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण व्यय की एकमुश्त प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं, जो वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा प्रति कर्मचारी अधिकतम 50,000 रुपये और प्रति इकाई कुल अधिकतम 1 करोड़ रुपये के अधीन होगी। यह लाभ केवल उन कर्मचारियों के लिए मान्य होगा जिनका मासिक सकल वेतन (Gross Salary) 1,00,000 रुपये से अधिक है, जहां सकल वेतन (Gross Salary) में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और इसी तरह के अन्य सभी घटक शामिल होंगे। निर्धारित शर्तों की पूर्ति और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, प्रति कर्मचारी इस नीति के अन्तर्गत केवल एक बार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

6.1.15 इंटरनेट सहायता

इंटरनेट के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को स्टैंडपेन्ड भुगतान करने के लिए पात्र इकाई द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने के बाद प्रशिक्षण लागत के 50 प्रतिशत अथवा प्रति छात्र प्रति माह 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, अधिकतम 5 इंटरनेट प्रति वर्ष तक सीमित, 3 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। इंटरनेट इकाई के परिसर में ही होगी और कम से कम 2 महीने की अवधि की होनी चाहिए।

6.2 विस्तारित इकाईयों हेतु लाभ

विस्तारित इकाईयों निम्नवत प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगे:-

6.2.1 पात्र विस्तारित इकाईयां वृद्धिशील स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) पर 25 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान का दावा करने के लिए पात्र होंगी, जो पात्र आईटी/आईटीईएस इकाईयों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये के उपादान के अधीन होगी।

6.2.2 कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की प्रतिपूर्ति, पे-रोल उपादान, कौशल विकास प्रोत्साहन, रिफ्रूटमेंट सहायता, रि-लोकेशन उपादान नई इकाईयों के लिए उपरोक्त उल्लिखित दर पर और उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। विस्तार से पूर्व वर्ष के दौरान औसत कर्मचारी हेडकाउंट को बेसलाइन कर्मचारी हेडकाउंट माना जाएगा। रोजगार संबंधी लाभों के लिए केवल बेसलाइन हेडकाउंट के ऊपर और अतिरिक्त वृद्धिशील हेडकाउंट पर विचार किया जाता है।

6.2.3 स्वामित्व वाली/बेयर शेल/ प्लग एंड प्ले सुविधा से संचालित इकाईयों के लिए, पात्र परिचालन व्यय पर कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि के अनुपात में 25 प्रतिशत की दर से परिचालन व्यय उपादान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक होगा।

6.2.4 सह-कार्य स्थलों से संचालित इकाईयों के लिए, वृद्धि हुई अतिरिक्त सीटों के 25 प्रतिशत की दर से या 3,000 रुपये प्रति सीट प्रति माह, जो भी कम हो, की दर से परिचालन व्यय उपादान प्रदान किया जाएगा, जोकि अधिकतम 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक होगा।

6.3 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाईयों के लिए लाभ

सशक्त समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन, 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली IT-ITeS इकाईयों (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) को भूमि पर 75% छूट (Land Rebate) तथा 40% पूंजीगत उपादान (पूंजीगत उपादान अधिकतम रु 400 करोड़ तक) (Capital Subsidy) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पूंजीगत

उपादान का संवितरण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के पश्चात पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा ।

6.4 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

6.4.1 आईटी/आईटीईएस उद्योग के लिए 25 केवीए से अधिक क्षमता के विद्युत जनरेटिंग सेट्स को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से छूट।

6.4.2 विशिष्ट शिकायतों की स्थिति को छोड़कर, आईटी/आईटीईएस उद्योगों को प्रस्तर-6.4.3 में उल्लिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इस प्राविधान के तहत इकाइयां प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण हेतु पात्र होंगी।

6.4.3 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व-प्रमाणन (समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:-

- I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
- II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
- III. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
- IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}
- V. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
- VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
- VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

6.4.4 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे - (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी पालियों में महिलाओं को काम करने की अनुमति होगी।

6.4.5 जब कभी आवश्यक हो, कतिपय आईटी/आईटीईएस इकाइयों को "आवश्यक सेवाओं"/सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं।

6.4.6 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी/ आईटीईएस जनित सेवा इकाइयों पर लागू।

6.4.7 उपरोक्त गैर-वित्तीय प्रोत्साहन नई इकाइयों और विस्तारित इकाइयों दोनों के लिए अनुमन्य हैं।

6.4.8 सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा राज्य विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा रियल एस्टेट डेवलपर संघों के सहयोग से, उत्तर प्रदेश भर में

उपलब्ध सभी भूमि पार्सल और ग्रेड ए कार्यालय स्थानों के लिए एक एकल-खिड़की रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने वाला एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल स्थापित और अनुरक्षित किया जायेगा, जिससे कि निवेशकों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके।

7. क्रियान्वयन ढांचा

7.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति

7.1.1 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ०जनित सेवा नीति के विकास और इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।

7.1.2 सशक्त समिति द्वारा आईटी सिटी/आईटी पार्क/वृहद आईटी/ आईटीईएस परियोजनाओं/ उत्कृष्टता के केन्द्रों / अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के विकास हेतु रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की जाएगी। समिति अंतर्विभागीय समन्वयन तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए भी उत्तरदायी होगी।

7.1.3 सशक्त समिति (EC) की गठन संरचना अनुलग्नक-2 में वर्णित है।

7.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

7.2.1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) गठित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इस नीति के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लिया जायेगा।

7.2.2 पीआईयू उत्तर प्रदेश में स्थापित रु 200 करोड़ तक के निवेश के लिए आईटी/ आईटीईएस इकाइयों/ आईटी परियोजनाओं/ आईटी सिटी/आईटी पार्क के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। रु 200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को अनुशंसा के लिए सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह किसी भी शिकायत का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता की सुविधा प्रदान करेगी। यदि पीआईयू किसी विशिष्ट बिन्दु पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2.3 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) की गठन संरचना अनुलग्नक-3 में वर्णित है।

7.3 नोडल संस्था

7.3.1 यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।

7.4 परियोजना प्रबन्धन इकाई

7.4.1 नोडल संस्था के तहत आउटसोर्स प्रोफेशनल्स तथा कन्सल्टेंट्स को शामिल करते हुए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जायेगा ताकि कार्यान्वयन में सहायता और अनुश्रवण किया जा सके।

8. नीति अवधि तथा प्रयोज्यता

8.1 ये नीति अधिशोचा जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगी अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले वैध होगी।

8.2 नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध होगा:-

8.2.1 इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव।

8.2.2 नीति के तहत प्रोत्साहन नई इकाइयों तथा विस्तारीकरण का प्रस्ताव करने वाली दोनों प्रकार की इकाइयों के लिए अनुमन्य हैं।

8.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा निम्नवत समय-सीमा के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ किया जायेगा:-

पात्र स्थिर पूँजी निवेश	वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने हेतु समय सीमा
रु 200 करोड़ तक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गत की तिथि /पहले निवेश की तिथि, जो भी पहले हो, से 4 वर्ष
रु 200 करोड़ से अधिक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गत की तिथि /पहले निवेश की तिथि, जो भी पहले हो, से 5 वर्ष

8.4 इस नीति की अधिसूचना की तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन इस नीति के अंतर्गत विचारणीय होंगे। इस नीति के अंतर्गत लाभ केवल उन नवीन इकाइयों (New Units) तथा विस्तार इकाइयों (Expansion Units) को उपलब्ध होंगे, जिन्होंने उक्त अधिसूचना की तिथि से पूर्व अपनी प्रस्तावित परियोजना निवेश राशि का अधिकतम बीस प्रतिशत (20%) तक निवेश किया हो तथा अधिसूचना की तिथि से पूर्व वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ न किया हो। अन्य लागू शर्तों की पूर्ति के अधीन, केवल इस नीति की अधिसूचना की तिथि के पश्चात किए गए तथा प्रस्तर 8.3 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए गए निवेश को ही स्थायी पूँजी निवेश (Fixed Capital Investment) माना जाएगा तथा वही इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होगा। ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी प्रस्तावित परियोजना निवेश राशि का बीस प्रतिशत (20%) से अधिक निवेश कर लिया हो, उन्हें उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित

सेवा नीति, 2022 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों हेतु स्वीकार्य माना जाएगा।

- 8.5 पिछली आईटी/आईटीईएस नीतियों के तहत, जिन प्रकरणों के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं, वे पिछली नीतियों के प्राविधानों द्वारा शासित होंगे।
- 8.6 किसी भी इकाई या अवसंरचना परियोजना के लिए स्वीकार्य कुल प्रोत्साहन राशि उसके स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 8.7 सभी प्रोत्साहन राशियां केवल यूपी आईटी और आईटीईएस नीति 2022 (प्रथम संशोधन) के तहत अनुमोदित इकाइयों के लिए ही अनुमन्य हैं।

परिभाषायें

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित हैं आईटी हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस इकाइयां/कम्पनियां, जहां आईटी इकाइयों/कम्पनियों में आईटी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा आईटी सेवायें शामिल हैं और आईटी जनित सेवाओं में बीपीओ/केपीओ/परामर्श/एनीमेशन/आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स/गेमिंग तथा अन्य ज्ञान-उद्योग इकाइयां शामिल हैं।
- (ख) सॉफ्टवेयर सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर/फर्मवेयर, किसी कम्पोनेन्ट स्तर का विकास, डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन कार्य, सिस्टम एकीकरण कार्य/कम्पोनेन्ट, सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीयकरण और एससीएम कार्य तथा विस्तार विकास (मुख्य सॉफ्टवेयर से इतर मॉड्यूल)
- (ग) "सूचना प्रौद्योगिकी" को किसी भी ऐसी सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो मूल्यसंवर्द्धन को साकार करने के लिए आईटी उत्पादों की एक प्रणाली पर किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप होता है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में शामिल हैं:-
- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
 - इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
 - ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
 - वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस प्रोवाइडर
 - ई-कॉमर्स और कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
 - इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (ई.डी.आई.) सेवायें
 - वीडियो कान्फ्रेंसिंग
 - वी-सैट, आईएसडीएन सेवायें
 - इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप
 - एआई एण्ड मशीन लर्निंग- जेन एआई, एजेन्टिक एआई, मल्टी-एजेन्ट सिस्टम्स
 - एलएलएम्स, फाउन्डेशनल एआई रिसर्च
 - डाटा कम्प्यूटिंग - क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज कम्प्यूटिंग, क्वान्टम कम्प्यूटिंग

- आटोमेशन - रोबोटिक्स, रोबोटिक्स प्रोसेस आटोमेशन, इन्टेलीजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन
- एयरोस्पेस/स्पेसटेक- सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस सिस्टम्स, डिफेन्स-एडजेसेन्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म
- सेमीकन्डक्टर्स - चिपडिजाइन, फैब्रीकेशन सपोर्ट सेमीकन्डक्टर ईकोसिस्टम डेवलपमेन्ट
- कनेक्टिविटी - 5जी /6 जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईओटी नेटवर्क्स, नेक्स्ट जनरेशन कम्प्यूनिकेशन
- ब्लॉकचेन/ वेब3 - डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीस, डिसेन्ट्रलाइज्ड एप्लीकेशन्स, डिजिटल आईडेन्टिटी
- डिजिटल एक्सपीरियन्स - एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स), एआर/वीआर, डिजिटल ट्विन, इमेन्सिव मीडिया टेक्नोलॉजीस
- एडवान्स्ड मैन्युफैक्चरिंग - इण्डस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिजिटल-फिजिकल कन्वर्जन्स

(घ) "सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं" में सम्मिलित है मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस प्रोसेसिंग, आईटी, एजुकेशन एण्ड लर्निंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनिमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स जैसे बिजनेस सेगमेन्ट की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दूरसंचार नेटवर्क अथवा इन्टरनेट पर वितरित की जाने वाली प्रक्रियाएँ और सेवाएँ, बैंक ऑफिस संचालन -

लेखा/वित्तीय सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श, जैसे सूचना विज्ञान, डाटा प्रोसेसिंग तथा कॉल सेन्टर आदि। आईटीईएस में शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं:-

- शोधन एवं विकास
- ई-कॉमर्स/डिजिटल मार्केटप्लेसेज/ऑनलाइन एग्रीगेटर्स
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स
- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेन्ट
- कस्टमर इन्टरेक्शन सेवाएँ यथा कॉल/कान्टेक्ट सेन्टर तथा ईमेल हेल्प डेस्क
- इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन
- बैंक ऑफिस प्रोसेसिंग
- फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टिंग (सुदूर से प्रदान)
- इन्श्योरेन्स क्लेम्स प्रोसेसिंग (सुदूर से प्रदान)
- मानस संसाधन सेवाएँ (सुदूर से प्रदान)
- वेब साइट विकास तथा अनुरक्षण सेवाएँ
- डाटा रिसर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस नेटवर्क कन्सल्टिंग एण्ड मैनेजमेन्ट
- रिमोट एजुकेशन

- एनीमेशन (सुदूर से प्रदान)
 - गेमिंग
 - मार्केट रिसर्च (सुदूर से प्रदान)
 - ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन तथा लोकलाइजेशन (सुदूर से प्रदान)
 - निम्नलिखित के लिए कन्सल्टेन्सी (सुदूर से प्रदान)
 - आईटी सेक्टर
 - ई.आर.पी. -एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (यथा एसएपी, ओराकेल आदि)
 - सी.आर.एम. - कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेण्ट
 - एम.आर.एम. - मार्केटिंग रिसोर्स मैनेजमेण्ट
 - तकनीकी सहायता
 - बिजनेस सिस्टम एण्ड प्रोसेसेज
 - डाटा प्रोसेसिंग
 - सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
 - सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
 - डिजाइनिंग सिस्टम्स
 - कॉल सेन्टर्स: (1) वॉयस - इनबाउण्ड तथा आउटबाउंड, दोनों (2) डाटा - इनबाउण्ड तथा आउटबाउंड
 - सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
 - आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (सुदूर से प्रदान सहित)
 - ऐसी अन्य सेवायें, जो समय-समय पर अधिसूचित की जायें।
- (च) इकाई का अभिप्राय है एक कम्पनी के रूप में गठित एक सत्ता के स्वामित्व वाली एक आईटी/आईटीईएस इकाई, एक एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहाकारी समिति अथवा स्वामित्व वाली संस्था सहित साझेदारी फर्म, जिसमें संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई शामिल नहीं है, जहाँ सरकार या सरकारी उपक्रम की अंश पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक है।
- (छ) विस्तार इकाई का अर्थ है उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मौजूदा इकाई से है जो विस्तार कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप नीति अवधि के दौरान उसके वेतनभोगी आईटी कर्मचारियों की संख्या में 25 प्रतिशत, या न्यूनतम 25 आईटी कर्मचारियों, जो भी अधिक हो, की वृद्धि होती है।
- (ज) स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) में भवन निर्माण, पट्टे पर ली गई संपत्ति में सुधार, आंतरिक विभाजन, फर्नीचर और फिटिंग, विद्युत और प्लंबिंग इन्स्टालेशन, आईटी-स्पेसिफिक भवन सेवाएं, संयंत्र और मशीनरी (कंप्यूटर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, नेटवर्किंग हार्डवेयर और संबंधित परिसंपत्तियां सहित), सॉफ्टवेयर और अवसंरचना उपयोगिताओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा। भूमि की लागत और भवन की खरीद पर किया गया व्यय स्थिर पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं है। केवल इकाई के खातों में कैपिटलाइज्ड व्यय को ही पूंजीगत व्यय माना जाता है। यदि परिचालन सह-कार्य/प्लग एंड प्ले स्थानों से किया जाता है, तो भवन निर्माण,

भवन सुधार, फर्नीचर और फिटिंग तथा अवसंरचना उपयोगिताओं से संबंधित लागतों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

(झ) सरकारी अभिकरण

- औद्योगिक विकास अभिकरण
- आवास परिषद
- सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य शासकीय संस्थान

(ट) आईटी सिटी के लिए न्यूनतम 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग 60:40 के अनुपात में प्रोसेसिंग और नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रोसेसिंग क्षेत्र में केवल आईटी इकाइयां जैसे आईटी कंपनियां, बीपीओ, केंपीओ आदि शामिल होंगे। नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र में आवासीय सुविधायें, सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें/वाणिज्यिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुला क्षेत्र होगा।

(ठ) आईटी पार्क्स का निर्माण लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज तथा वाराणसी में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा प्रदेश के शेष उत्तर प्रदेश में 1,500 वर्गमीटर के साथ किया जाता है। परिसर में सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी। आवंटन योग्य क्षेत्र को 75 प्रतिशत आईटी गतिविधियों के लिए आवंटित होना चाहिए। आईटी पार्क में अधिकांश तकनीकी अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वाई-फाई एक्सेस, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधायें आदि एक आईटी सिटी के समान होती हैं। आईटी पार्क, आईटी सिटी का एक सबसेट है जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र प्रमुख रूप से आईटी गतिविधियों के लिए समर्पित है।

ड) वाणिज्यिक परिचालन तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जब आईटी/आईटीईएस इकाई या अवसंरचना परियोजना आधिकारिक रूप से अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का शुभारंभ करती है, जो राजस्व सृजन द्वारा चिह्नित होती है, अर्थात् सेवाओं या संचालन के प्रावधान के माध्यम से इकाई द्वारा जारी किए गए पहले वाणिज्यिक बिक्री बिल/चालान की तिथि।

ढ) पात्र परिचालन व्यय (ओपीईएक्स)- पात्र परिचालन व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. लीज रेंटल्स

आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए कार्यालय स्थान लीज पर लेने के लिए वास्तविक किराए के आधार पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसकी पात्रता उन इकाइयों के लिए होगी जिनके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख है।

ii. बैंडविड्थ व्यय

लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाता को भुगतान की गई वास्तविक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी लागत के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

iii. डाटा सेंटर/क्लाउड सेवा लागत

आईटी/आईटीईएस इकाई के संचालन में डाटा सेंटर या क्लाउड सेवाओं पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

iv. पॉवर चार्जस -

आईटी/आईटीईएस इकाई के संचालन में ऊर्जा खपत के लिए हुए वास्तविक विद्युत व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

ण) सह-कार्यशील स्थान: सह-कार्यशील स्थान का अर्थ है एक साझा कार्यालय स्थान जो किसी व्यवसाय के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक सामान्य बुनियादी ढाँचा, सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करता है। सह-कार्य गतिविधियों के लिए आवेदक के पास कम से कम 100 सीटें या 1,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम समर्पित क्षेत्र होना चाहिए, ताकि उस स्थान पर कई संस्थाओं का कब्जा हो। सुविधाओं और सेवाओं की उदाहरणात्मक सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दावा की गई प्रत्येक व्यक्तिगत सीट के लिए उपयोग के लिए तैयार और प्लग-एन-प्ले सुविधाएं और फर्नीचर
- (ii) तकनीकी उपकरण
- (iii) हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईटी समर्थन
- (iv) मुद्रण, स्कैनिंग और फोटोकॉपी सेवाएँ
- (v) सम्मेलन कक्ष
- (vi) स्वागत क्षेत्र
- (vii) बिजली आपूर्ति
- (viii) हाउसकीपिंग सेवाएं
- (ix) निगरानी और भंडारण सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरा

ध्यानाकर्षण: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 (प्रथम संशोधन)" के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रूपान्तर है, अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी असंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।

अनुलग्नक 1: जिलों का वर्गीकरण

पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	मध्यांचल	पश्चिमांचल
<u>अयोध्या क्षेत्र</u>	<u>झाँसी क्षेत्र</u>	<u>कानपुर क्षेत्र</u>	<u>1 गौतमबुद्ध नगर</u>
1 अयोध्या	1 झाँसी	1 कानपुर नगर	<u>2 गाजियाबाद</u>
2 अम्बेडकर नगर	2 जालौन	2 कानपुर देहात	<u>आगरा क्षेत्र</u>
3 सुल्तानपुर	3 ललितपुर	3 इटावा	1 आगरा
4 अमेठी	<u>चित्रकूट क्षेत्र</u>	4 औरैया	2 फिरोजाबाद
<u>गोरखपुर क्षेत्र</u>	4 बांदा	5 फर्रुखाबाद	3 मैनपुरी
5 गोरखपुर	5 चित्रकूट	6 कन्नौज	4 मथुरा
6 देवरिया	6 हमीरपुर	<u>लखनऊ क्षेत्र</u>	<u>अलीगढ़ क्षेत्र</u>
7 महाराजगंज	7 महोबा	7 लखनऊ	5 अलीगढ़
8 कुशीनगर		8 हरदोई	6 हाथरस
<u>प्रयागराज क्षेत्र</u>		9 लखीमपुर खीरी	7 कासगंज
9 प्रयागराज		10 रायबरेली	8 एटा
10 कौशाम्बी		11 सीतापुर	<u>मुरादाबाद क्षेत्र</u>
11 फतेहपुर		12 उन्नाव	9 मुरादाबाद
12 प्रतापगढ़		13 बाराबंकी	10 बिजनौर
<u>वाराणसी क्षेत्र</u>			11 सम्भल
13 वाराणसी			12 रामपुर
14 चन्दौली			13 अमरोहा
15 जौनपुर			<u>मेरठ क्षेत्र</u>
16 गाजीपुर			14 मेरठ
<u>मीरजापुर क्षेत्र</u>			15 बुलन्दशहर
17 मीरजापुर			16 हापुड़
18 संत रविदास नगर			17 बागपत
19 सोनभद्र			<u>सहारनपुर क्षेत्र</u>
<u>आजमगढ़ क्षेत्र</u>			18 मुजफ्फरनगर
20 आजमगढ़			19 शामली
21 बलिया			20 सहारनपुर
22 मऊ			<u>बरेली क्षेत्र</u>
<u>देवीपाटन क्षेत्र</u>			21 बरेली
23 गोण्डा			22 बदायूँ
24 बहराइच			23 पीलीभीत
25 बलरामपुर			24 शाहजहाँपुर

26 श्रावस्ती बस्ती क्षेत्र			
27 बस्ती			
28 संत कबीर नगर			
29 सिद्धार्थ नगर			

अनुलग्नक 2: सशक्त समिति का गठन

क्रम संख्या	पदनाम	भूमिका
1	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

अनुलग्नक 3: नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन

क्रम संख्या	पदनाम	भूमिका
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव